

3/10/22

प्राथी शकेश लुभार सिकरवार स्वयं उप
अप्राथी मनेजर सिविल सर्जरी भरतपुर
उपण अप्राथीगण की ओर से अपीलका
जबाब पेश किया गया। अपीलान्त ने एक

Ravi

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलान्ट अनुसार
प्रकरण राजस्व मंडल के आदेश के पूर्व ही
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में द्वितीय
अपील अधिकारी प्रबन्धक निदेश राजस्थान
राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम
जयपुर के आदेश के विरुद्ध जैरकार होने से
प्रार्थना वर्तमान में विचाराधीन प्रथम अपीलको
चलाना नहीं चाहता है। अतः अपीलान्ट के
प्रार्थना पत्र अनुसार माननीय उच्च न्यायालय
में जैरकार होने से इस अपील में कार्यवाही
इसी स्टेज पर समाप्त की जाती है। पत्रावली
फैसल नुमांर होकर नम्बर से काम की जाकर
न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर को
भेजा जावे।



अनिल कुमार अग्रवाल
जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)